# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

**पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)**

**राजस्व प्रकरण संख्या :– 99/2024** **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/311**
**दायर दिनांक :– 20.06.2024** **निर्णय दिनांक :– 18.09.2025**

1. लक्ष्मी पुत्री शैतानाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी

**–प्रार्थी**

**बनाम**

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. मेनका पत्नी राजाराम जाति विश्नोई निवासी सारणपुरा तहसील बाप जिला फलोदी
3. मांगीलाल पुत्र सुखराम जाति विश्नोई निवासी करनेवाला तह. पोकरण जिला जैसलमेंर
4. शारदा पत्नी मांगीलाल जाति विश्नोई निवासी करनेवाला तह. पोकरण जिला जसैलमेंर
5. सुमित्रा पत्नी श्यामलाल जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
6. अनोपाराम पुत्र किसनाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
7. अर्जुनराम पुत्र कानूराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
8. धूड़ाराम पुत्र धोंकलाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
9. किशनाराम पुत्र धूड़ाराम जाति विश्नोई निवासी नेवा तहसील बाप जिला फलोदी
10. जोराराम पुत्र सुजानाराम जाति विश्नोई निवासी नौसर तहसील औसियां जिला जोधपुर
11. भलाराम पुत्र सुजानाराम जाति विश्नोई निवासी नौसर तहसील औसियां जिला जोधपुर
12. भागीरथ पुत्र सुजानाराम जाति विश्नोई निवासी नौसर तहसील औसियां जिला जोधपुर
13. ओमप्रकाश पुत्र मनोहरलाल जाति विश्नोई निवासी बरजासर तहसील व जिला फलोदी
14. खींयाराम पुत्र मनोहरलाल जाति विश्नोई निवासी बरजासर तहसील व जिला फलोदी
15. गेनाराम पुत्र मनोहरलाल जाति विश्नोई निवासी बरजासर तहसील व जिला फलोदी
16. सत्यपाल पुत्र मनोहरलाल जाति विश्नोई निवासी बरजासर तहसील व जिला फलोदी
17. सुरेश पुत्र मनोहरलाल जाति विश्नोई निवासी बरजासर तहसील व जिला फलोदी

**–अप्रार्थीगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956**

**उपस्थित :–1.** श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप
3. श्री देवीसिंह भाटी अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 ता 5
4. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधि. अ. सं. 13 ता 17

## –:: निर्णय ::–

सहायक कलेक्टर बाप जिला फलोदी (राज.)

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 780/4 रकबा 6.4750 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 780 रकबा 9.7124 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 6 की खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 780/5 रकबा 6.2321 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 7 की खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 780/6 रकबा 10.4004 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 780/7 रकबा 12.2215 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 7 व 8 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि

18/9/25

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

खसरा नम्बर 780/3 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 8 व 9 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि 780/8 रकबा 10.3195 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 10 ता 12 के खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि 780/1 रकबा 10.5218 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी संख्या 13 ता 17 की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 780/2 रकबा 8.0937 हैक्टेयर सरहद मौजा नेंवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप में स्थित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 17 उक्त वादग्रस्त भूमि पर अपना-अपना कब्जा व काश्त लगातार शांतिपर्वूक तरीके से चला आ रहा है तथा प्रत्येक वर्ष काश्त का प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग लेते आ रहे है। प्रार्थी ने अपने हिस्से की भूमि पमें रहवासीय ढाणी, पानी का टांका व पशुओं के लिये बाड़े तथा नलकूप खुदवाया हुआ है तथा चारों ओर से घेरकर बाडा किया हुआ है। जिमसें प्रार्थी परिवार सहित बारह ही मास निवास करती आ रही है। लेकिन अप्रार्थीगण ने पटवारी हल्का से मिलावट कर सरासर गलत तरीके से एवं बिना किसी विधिक आदेश के प्रार्थी को सूचित किये बगेर ही सेग्रीकेशन योजना के तहत प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 780/4 रकबा 6.4750 हैक्टेयर भूमि की नक्शा में तरमीम अपनी मनमर्जी से प्रार्थी के कब्जा एवं काश्त के विपरित करवा दी जो सरासर गलत एवं विधि विरूद्व है। इसलिये ग्राम नेवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 780/4 रकबा 6.4750 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 780 रकबा 9.7124 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 780/5 रकबा 6.2321 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 780/6 रकबा 10.4004 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 780/7 रकबा 12.2215 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 780/3 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 780/8 रकबा 10.3195 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 780/1 रकबा 10.5218 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 780/2 रकबा 8.0937 हैक्टेयर भूमि के नक्शा में खातेदारों के कब्जा काश्त के विपरित विधि विरूद्व तरीके से की गई तरमीम को निरस्त करवाने एवं प्रार्थी के कब्जा व काश्त अनुसार तरमीम करवाने की अधिकारिणी है। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार बाप ने जवाब व मौका रिपोर्ट पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 की और से अधिवक्ता देवीसिंह भाटी व अप्रार्थी संख्या 13 ता 17 की और से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 ता 12 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 व 13 ता 17 द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर इनका जवाब बंद किया गया। पत्रावली बहस में रखी गई।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। विवादग्रस्त भूमि ग्राम नेवा पटवार क्षेत्र कानासर तहसील बाप के खसरा नम्बर 780/4 रकबा 6.4750 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 780 रकबा 9.7124 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 780/5 रकबा 6.2321 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 780/6 रकबा 10.4004 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 780/7 रकबा 12.2215 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 780/3 रकबा 0.0486 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 780/8 रकबा 10.3195

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

हैक्टेयर, खसरा नम्बर 780/1 रकबा 10.5218 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 780/2 रकबा 8.0937 हैक्टेयर की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में हो रखी है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम किस आदेश के आधार पर नक्शा लट्ठा में अंकित है। ऑनलाईन नक्शा में नक्शा लट्ठा में भिन्नता है या नहीं इसका वर्णन मौका रिपोर्ट में नहीं किया गया है। चूंकि विवादग्रस्त खसरान की भूमि तरमीम को किस प्रकार दुरूस्त किया जाना है इस संबंध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

**क्रियात्मक आदेश**

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/9/25

सहायक कलक्टर (मुहर)
बाप जिला फलोदी (राज.)
सत्यमेव जयते

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)